.

2007 का विधेयक संख्यांक .

[दि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (अमेंडमेंट) बिल, 2007 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2007

राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक , 2007 है ।

(2) यह 29 जनवरी, 2007 को प्रवृत्त हुआ माना जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

2. राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-- 1998 का 13

'(छ) "संस्थान" से, धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (2क) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अभिप्रेत है ;'।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,--

(i) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2क) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देश के विभिन्न भागों में ऐसे ही संस्थानों की स्थापना कर सकेगी ।";

(ii) उपधारा (3) में,--

(अ) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(घ) उस राज्य सरकार का, जिसके भीतर संस्थान स्थित है, तकनीकी शिक्षा सचिव - पदेन ;";

(आ) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ञक) भारतीय औषध परिषद् का एक प्रतिनिधि ;" ।

नई धारा 4क का अन्तःस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

संस्थान के केन्द्र ।

"4क. कोई संस्थान, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपनी अधिकारिता के भीतर विभिन्न अवस्थानों में एक या अधिक केन्द्र स्थापित कर सकेगा ।"।

निरसन और व्यावृत्ति ।

5. (1) राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश , 2007 का निरसन किया जाता है । 2007 का अध्यादेश सं0 2

राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश , 2007 का निरसनके निरसन के ।